उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या-14/2020/664/तीन-2020-47-2(10)-94
लखनऊ, दिनाँक: 23 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1938), की धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनाँक से कम से कम दो मास की समाप्ति पर, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन एक अधिसूचना, जिसमें नीचे अधिसूचित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी विनिदिष्ट भाग में दिनाँक 01 अगस्त, 2020 से प्रारम्भ होने वाली और दिनाँक 31 जुलाई, 2025 को समाप्त हाने वाली अवधि के दौरान गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास करना प्राधिकृत किया गया है, जारी करने के अपने आशय को एतद्द्वारा अधिसूचित करती हैं, जो ऐसी अधिसूचना है जिसमें उक्त् क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित किया गया है, जिसमें दिनाँक 01 अगस्त, 2020 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियतकालिक रूप से गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास किया जाना अधिसूचना संख्या-887/तीन-2019-47-2(10)-94 दिनाँक 13 फरवरी, 2020 के गजट में पहले प्रकाशित कर दिये जाने के कारण प्राधिकृत किया जा सकता है।

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
अयोध्या	अयोध्या सदर	मांझा जमथरा	1 से 398	2211
		गौरा पट्टी	1 से 263	164
		मांझा तारपुर रजोली	1 से 70	29
		छावनी गौर बैरिक	1 से 1498	1921
		मांझा कला	1 से 2463	5695
		चकगौरा पट्टी	1 से 168	57
		तोगपुर	1 से 363	115
		मुमताज नगर	1 से 307	245
		बनवीरपुर	1 से 250	618

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		हाजी सिंहपुर	1 से 860	445
		घाटमपुर	1 से 283	341
		कोटसरावा	1 से 757	404
		फतेहपुर सरैया उपरहार	1 से 390	365
		फतेहपुर सरैया	1 से 382	781
			योग	**13391 (एकड़)**

टिप्पणी :- ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्र का नक्शा अयोध्या के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
SAMANYA PRASHASAN ANUBHAG

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.14/2020/664/III-2020-47-2(10)-94, dated September 23, 2020 for general information.

NOTIFICATION

No. 14/2020/664/III-2020-47-2(10)-94

Lucknow : Dated : September 23, 2020

In pursuance of sub-section (3) of section 9 of Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act No V of 1938), the Governor hereby notifies his intention to issue, on the expiry of at least two months from the date of the publication of this notification in the Gazette, a notification under sub-section (2) of the said section authorizing the carrying out of field firing and artillery practice throughout the area notified below, or any specified part thereof during the period commencing from the First day of August, 2020 and ending with the July 31, 2025, a notification defining the said area as the area within which for a term of five years from first day of August, 2020 the carrying out periodically of field firing and artillery practice may be authorized having been previously published in the Gazette dated February 13, 2020 in notification no 877/III-2019-47-2(10)-94 dated February 13, 2020.

SCHEDULE

DETAILS OF AREA

District	Tehsil	Villages	Plot Nos.	Area (in Acres)
1	2	3	4	5
Ayodhya	Ayodhya Sadar	Manjha Jamthara	1 to 398	2211
		Gaura Patti	1 to 263	164
		Manjha Tarapur Rajauli	1 to 70	29
		Chhawani Gora Barrik	1 to 1498	1921
		Manjha Kalan	1 to 2463	5695
		Chak Gaura Patti	1 to 168	57
		Toghpur	1 to 363	115
		Mumtaz Nagar	1 to 307	245
		Banbirpur	1 to 250	618
		Haji Singhpur	1 to 860	445
		Ghatampur	1 to 283	341

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		Kotsarwaan	1 to 757	404
		Fatehpur Saraiya Uparhar	1 to 390	365
		Fatehpur Saraiya	1 to 382	781
		Total		**13391 Acres**

Note : A site plan of the area specified above may be inspected in the office of the collector, Faizabad.

By Order,

JITENDRA KUMAR
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।